जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर

<u>तकनीकी भाग</u>

निविदा मूल्य– 500/–
अमानत राशि रू.– 10,000/–
सुरक्षा राशि रू.– 35,000/–

कार्यः– कचरा स्क्रेप (जिसमें कागज /खाली कार्टन/पेपर कोर/श्रीखण्ड एवं दही के स्क्रेप कप, खाली पनीर पाऊच, मिनरल मिक्सचर पाऊच स्क्रेप आदि शामिल है।) एस.एम.पी. (केवल कागज बैग एवं छोटी पैकिंग के पाऊच स्क्रप), सीमेन्ट, चीनी, नमक एवं कास्टिक के खाली बैग।

<u>निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र</u>

निविदा प्राप्ति की दिनांक 15.01.2019 सायं 03.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक 16.01.2019 को दोपहर 12.30 बजे

1. निविदादाता/फर्म का नाम : ....
   व पता, दूरभाष संख्याः ....
   (मय पहचान पत्र स्वंय की सत्यापित प्रति) ....

2. निविदादाता/फर्म का जीएसटी न. ....
   (कृपया छाया प्रति स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

3. निविदादाता/फर्म का पैन न. ....
   (कृपया छाया प्रति स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

4. निविदादाता/फर्म द्वारा जमा करायी गई राशि अमानत राशि का विवरण (डी.डी./रसीद संख्या........... ....दिनांक........................राशि रू. ....)

5. कचरा स्क्रेप के कार्य का अनुभव ....
   यदि हो तो (दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करें)
6. कचरा स्क्रेप का क्या उपयोग होगा ? विवरण दें।..
   ....

7. बैंक का नाम एवं खाता संख्या ....
8. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड़..
9. प्रोपराइटर का आधार कार्ड नम्बर ....
10. ई– मेल आईडी ....

निविदादाता/फर्म के
मालिक/ साझेदार के
हस्ताक्षर मय रबड़ सील

नोट : (कृपया अमानत राशि की डी.डी. /नगद जमा की मूल रसीद सलंग्न करें।)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर।

कचरा स्क्रेप (जिसमें कागज/खाली कार्टन/पेपर कोर/ श्रीखण्ड एवं दही के स्क्रेप कप/ खाली पनीर पाऊच, मिनरल मिक्सचर पाऊच स्क्रेप आदि सम्मिलित हैं) एवं एस.एम.पी. (केवल कागज बैग एवं छोटी पैकिंग के पाऊच स्क्रप), सीमेन्ट, चीनी, नमक एवं कास्टिक के खाली बैग को क्रय करने हेतु निविदादाताओं के लिए शर्ते, निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व निम्नांकित समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता अपने हस्ताक्षर कर, निविदा प्रपत्र के तकनिकी भाग के साथ संलग्न करें। निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसने निविदा प्रपत्र के तकनीकी भाग के साथ आवश्यक अमानत राशि का डी.डी. या नकद जमा की रसीद, पैन नं. एवं जीएसटी नं. की छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न कर दी है।

(1) निविदा प्रपत्र तकनीकी एवं वित्तीय दो भागों में खोला जावेगा। दोनों भागों को अलग–अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। जिस निविदादाता द्वारा तकनीकी भाग की सभी शर्तो को पूर्ण किया जावेगा उन्ही निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग को खोला जावेगा। निविदा प्रस्ताव प्रपत्र बिना किसी अपलेखन (over writing) के पूर्ण रूप से भरकर, प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए निर्धारित समय सीमा अवधि मे संघ कार्यालय में जमा करना होगा।

(2) निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति के पास जीएसटी नं. एवं पैन नं. उपलब्ध होना आवश्यक है।

(3) निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के वित्तिय भाग में अंको एवं शब्दों में दर अंकित करते समय यदि दोनो में अन्तर /अपलेखन (over writing) पाया जाता है तो शब्दों में अंकित की गई दर को ही मान्यता दी जावेगी एवं प्रस्तुत की गई दर में सभी प्रकार के कर अतिरिक्त होगें।

(4) निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र निर्धारित दिनांक को निश्चित समय पर संघ कार्यालय में खोली जावेगी। उस समय निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना चाहिए। नेगोसिएशन की स्थिति में उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं (क्रेताओं)/प्रस्तावकों से नेगोसिएशन किया जावेगा।

(5) निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के तकनीकी भाग के साथ अमानत राशि रू. 10,000/– (अंके रू. दस हजार मात्र) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट/ नकद जमा की मूल रसीद संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र मान्य नहीं होगा। असफल निविदादाताओं (क्रेताओं)/प्रस्तावकों द्वारा जमा अमानत राशि निविदा खुलने की दिनांक से अधिकतम तीन माह की अवधि में चैक अथवा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लौटायी जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। **सफल निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित कर दिया जावेगा। (ड़ी.ड़ी., बैकर चैक, पे ऑड़र केवल सी.टी.एस. ही मान्य होगें।)**

(6) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा, अधिकतम सात दिवस की अवधि में आवश्यक सुरक्षा राशि रू. 35,000/– जमा कराते हुए रू. 500/– के नॉन ज्युडिशियल पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। यदि समय पर सुरक्षा राशी जमा नही कराई जाती है तो यह मानते हुए की आप अनुबन्ध करने के इच्छुक नही है, अमानत राशी जब्त की जा सकता है।

(7) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त संघ द्वारा सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को कार्यादेश प्रदान किया जावेगा। जो कार्यादेश दिये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेगा। जिसे संघ प्रशासन अवधि समाप्ति के पश्चात स्वीकृत दर पर तीन माह के लिए बढ़ा सकता है। जिस पर सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

(8) निविदादाताओं (क्रेताओं)/प्रस्ताकों द्वारा प्रस्तुत दरें संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकृत करने के लिए तीन माह तक खुला रखना होगा।

(9) कचरा स्क्रेप को संघ में **जहां है एवं जैसी स्थिति में है** प्रतिदिन एकत्रित कर बोरों में भरकर स्क्रेप यार्ड में निर्देशित स्थान पर रखना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में शास्ति आरोपित की जा सकती है।

(10) सफल निविदादाता द्वारा स्क्रेप को एकत्रित करने, वाहन में लोड़ करने, कार्य हेतु लगाये गये श्रमिको के वेतन एवं अन्य अतिरिक्त सम्पूर्ण व्यय को सफल निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

(11) माल सफल निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि को ही दिया जावेगा। (अधिकृत किये जाने वाले प्रतिनिधि को सफल निविदादाता द्वारा फर्म के लैटर पैड़ पर अधिकृत कर प्रस्तुत करना होंगा।)

(12) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक के द्वारा उपरोक्त वर्णित कचरे (अनुपयोगी) को स्टोर के निर्देशानुसार जयपुर डेयरी संयत्र से कम से कम सप्ताह में दो बार अथवा उपलब्धता के आधार पर तथा सम्बद्ध पेकेजिंग स्टेशन मै. मेवाड़ फूड्स, कानोता से सप्ताह में एक बार अथवा उपलब्धता के आधार पर आवश्यक रूप से ले जाना होगा, एस.एम.पी. के खाली कागज बैग स्क्रेप की उपलब्धता एवं स्टोर अनुभाग के निर्देशानुसार उठाना होगा। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में प्रति सप्ताह की दर से रू. 1000/— की शास्ति आरोपित की जा सकती है।

(13) सफल निविदादाता द्वारा जयपुर डेयरी संघ /स्टोर अनुभाग के निर्देशन में कार्य करना होगा। स्टोर अनुभाग निर्देश के बाद भी यदि निविदादाता स्क्रेप नहीं उठाता है, तो इस कार्यालय को अनुबन्ध समाप्त कर अमानत/ सुरक्षा राशि को जब्त करने का अधिकार संघ के प्रबन्ध संचालक महोदय के पास सुरक्षित है।

(14) निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा, कार्यादेश में वर्णित स्क्रेप के साथ अनाधिकृत रूप से किसी अन्य सामान को ले जाते हुए पाए जाने की स्थिति में उसे चोरी की संज्ञा मे लिया जावेगा। संघ के नियमानुसार उस सामान के बाजार मूल्य के 25 गुना राशि तक की शास्ति निविदादाता/प्रस्तावक पर आरोपित की जा सकती है।

(15) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को जीएसटी एवं अन्य कानूनी भुगतान यदि देय हो तो माल के मूल्य के साथ (नकद या ड्राफ्ट) जमा कराना अनिवार्य होगा। निविदा में वर्णित सामान अग्रिम भुगतान पर ही दिया जावेगा।

(16) संघ परिसर से उपरोक्त वर्णित माल को एकत्रित कराने, उठाने की जिम्मदारी स्वयं निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक की होगी व निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा निविदा शर्त संख्या 12 के अनुसार माल नही उठाने की स्थिति में शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त संघ, निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक के हर्जे—खर्चे पर किसी भी अन्य पार्टी को माल विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, यदि कोई अन्तर राशि रहेगी तो अन्तर राशि मय शास्ति सफल निविदादाता से वसूल की जावेगी।

(17) सफल निविदादाता/क्रेता के श्रमिकों द्वारा डेयरी के किसी भी भवन या मशीन आदि को कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसकी वसूली सफल निविदादाता/क्रेता से की जावेगी एवं शास्ति भी आरोपित की जा सकती है। सफल निविदादाता द्वारा शास्ति का भुगतान नहीं किए जाने पर अनुबन्ध निरस्त करते हुए वसूली सुरक्षा राशि से की जावेगी।

(18) अनुबंध की किसी भी शर्त का आशिंक या पूर्ण उल्लंघन करने पर संघ प्रशासन द्वारा निविदा/प्रस्ताव को निरस्त करते हुए सफल निविदादाता/प्रस्तावक द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा/अमानत राशि को जब्त किया जा सकता है।

(19) सफल निविदादाता/क्रेता को दिए गए कार्य को सफल निविदादाता/क्रेता किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यदि ऐसा पाया गया कि सफल निविदादाता/क्रेता द्वारा आवांटित कार्य किसी अन्य का हस्तान्तरीत कर दिया है तो सफल निविदादाता/क्रेता द्वारा जमा करायी गई सुरक्षा/अमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

(20) निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक आयकर प्रमाण—पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा एवं आयकर संबंधी औपचारिकताऐं पूर्ण करने का समस्त दायित्व निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक का होगा।

(21) All Disputes and differences arising between the parties out of the agreement or incidental thereto shall be decided by arbitration under the provision of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.

(22) संघ प्रशासन के पास ठेके के क्रम में आवश्यक होने पर उक्त वर्णित शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन करना, किसी शर्त को हटाने एवं जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

(23) किसी भी निविदा/ क्रय प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संघ प्रशासन के पास सुरक्षित है।

(24) निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक के किसी कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट ग्रस्त होने पर उसकी समस्त जिम्मेंदारी सफल निविदादाता की होगी। संघ प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नही होगा।

(25) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को अपने अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि का डाक का पता मय दूरभाष नम्बर (मय सत्यापित प्रतिलिपी) संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। दूरभाष नम्बर, ड़ाक का पता परिवर्तन करने की स्थिति में इस कार्यालय में लिखित में सूचना देना आवश्यक है तथा सफल निविदादाता के प्रतिनिधि एवं कार्य करने वाले कर्मकारों का परिचय पत्र होना आवश्यक है जो सफल निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर उपरान्त जारी हो, को ही माना जायेगा।

(26) निविदादाता/क्रेता/फर्म द्वारा संघ अथवा संघ के किसी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद (संघ के कार्यो से सम्बन्धित प्रकरणं) पर कोई वाद नही किया होना चाहिए एवं न्यायालय द्वारा दण्ड़ित या किसी भी प्रकार के आपराधिक मामला नही होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र निविदादाता/क्रेता/फर्म को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(27) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को राज्य सरकार के श्रमिक एंव बाल श्रमिक रोकथाम अधिनियमों की पालना करनी होगी एवं राज्य सरकार अथवा निर्धारित एजेन्सियो द्वारा जारी अधिसूचना/दिशानिर्देशो की पालना करनी होगी साथही सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा कार्य में लगाये गये श्रमिक/ कर्मचारियों के ई.एस.आई., पी.एफ. के भुगतान की जिम्मेदारी एवं भुगतान सम्बन्धित कोई भी विवाद होता है तो सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक की जिम्मेदारी होगी। संघ प्रशासन इसके लिए किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

(28) सफल निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक और संघ प्रशासन के बीच किसी भी प्रकरण में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संघ के अध्यक्ष महोदय सोल पंच निर्णायक होगें उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य माना जावेगा एवं न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

(29) निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को माल की प्रथम सुपुर्दगी लेने से पूर्व द्वितीय पक्ष को जयपुर संघ का नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य बनना आवश्यक है जिस हेतु नाम मात्र सदस्य का रूपये 100/– (रूपये सौ मात्र) एवं रूपये 10/– (रूपये दस मात्र) सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। संघ के नये उपनियमों के अनुसार संघ के नाम मात्र (नोमिनल) सदस्य पर उपनियम की शर्ते लागू होगी।

(30) सुरक्षा/अमानतराशि अनुबंधित निविदा अवधि समाप्ति के पश्चात तीन माह की अवधि में निम्न औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के उपरान्त लौटाई जा सकेगीः–

(अ) निविदादाता (क्रेता)/प्रस्तावक को निविदा अवधि समाप्ति के उपरान्त एक इंडेमैन्टी बाण्ड रूपए 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रस्तुत करने पर कि यदि निविदा/ प्रस्ताव अवधि समाप्ति के उपरान्त भविष्य में कभी भी उक्त क्रय किए गए माल के संबंध में अन्य कोई वैधानिक कर/डयूटी/अंशदान/सरचार्ज आदि की मांग राज्य/केंद्रीय सरकार द्वारा की जाने पर एवं संघ द्वारा उसका भुगतान किए जाने की स्थिति में सफल निविदादाता(क्रेता)/प्रस्तावक द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति जयपुर दुग्ध संघ को की जावेगी।

निविदादाता निम्न दस्तावेज संलग्न करेगें।

1. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण।
2. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण।
3. निविदादाता का पैन की छाया प्रति। (स्वंय सत्यापित)
4. कार्यानुभव यदि हो तो।
5. शर्त संख्या 20 के क्रम में आर.टी.आर. की प्रति।
6. शर्त संख्या 25 के क्रम में निविदादाता फर्म के लैटर पेड़ पर ड़ाक का पता मय दुरभाष संख्या।
7. शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप फार्म 1) में बिन्दु संख्या 26 के क्रम में।

Form–1

–: शपथ – पत्र :–

(100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर,नोटरी पब्लिक से सत्यापित)

मैं /हम निविदादाता .... पुत्र श्री ....पता.. ....(फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेटर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर सघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरूद्व किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of Tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है (सिर्फ आश्रितों पर लागू) ।
6. मैं/हम दीवालिया /नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पिर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पायें जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गांरटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा । जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं .... पुत्र श्री .... आयु ..... वर्ष निवासी .... एदद् द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उक्त शपथ पत्र के मद संख्या एक से नो तक को मैने पढ़, सून व समझ कर बिना किसी नशे पते व जोर जबरदस्ती के पूर्ण होशो हवास के अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। ईश्वर मेरे साक्षी है। बमुकाम।

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर
गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर

वित्तीय भाग

निविदा मूल्य– 500/–
अमानत राशि रू.– 10,000/–
सुरक्षा राशि रू.– 35,000/–

कार्यः– कचरा स्क्रेप (जिसमें कागज /खाली कार्टन/पेपर कोर/श्रीखण्ड एवं दही के स्क्रेप कप, खाली पनीर पाऊच, मिनरल मिक्सचर पाऊच स्क्रेप आदि शामिल है।) एस.एम.पी. (केवल कागज बैग एवं छोटी पैकिंग के पाऊच स्क्रप), सीमेन्ट, चीनी, नमक एवं कास्टिक के खाली बैग।

निविदा/प्रस्ताव प्रपत्र

दर रू0/प्रति किलोग्राम (कर अतिरिक्त) [ ]

दर शब्दों में .... रू./प्रति किलोग्राम (कर अतिरिक्त)

हस्ताक्षरः–
नामः–
वास्ते मैर्ससः–
टेलिफोन न. /मोबाईल न.
एवं पी.पी.न.ः–